

Amended
Cases

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page No. 5638-5657

Dated : 22-11-97

वाणिज्य मंत्रालय
MINISTRY OF COMMERCE

आदेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1997

का०आ० 2947.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए पशु केसिम्स के निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन रहते हुए बनाए गए कतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 132(अ) तारीख 21 फरवरी, 1997 द्वारा राजपत्र असम्भारण भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 21 फरवरी, 1997 में प्रकाशित किए गए थे।

और उन सभी व्यक्तियों से जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन से पैंतालिस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 21 फरवरी, 1997 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और उक्त प्राश्य पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है।

और मानकों की उच्च क्वालिटी बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह आयातकर्ता देशों के स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार होंगी जैसी कि वे यूरोपियन समुदाय के तारीख 18-3-94 के एकीकृत निर्देश सं० 94/187/ईसी और तारीख 17-12-92 के एकीकृत निर्देश सं० 92/118/ईईसी से दी गयी हैं।

अतः भारत सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशु केसिम्स से संबंधित वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2283 तारीख 24 अगस्त, 1994 का अधिनियम करते हुए भारत के सुदृढ़ निर्यात व्यापार के विकास के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श के पश्चात् उसकी यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है:

2887 Commerce/97-1

(1) पशु केसिम्स का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा।

(2) क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण का प्रकार पशु केसिम्स के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1997 के अनुसार पशु केसिम्स के निर्यात से पूर्व अधिसूचना में वर्णित क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण का प्रकार लागू होगा।

(3) निम्नलिखित को मान्यता देना:

(क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों और निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यता-प्राप्त अन्य निकायों के मानकों को,

या

(ख) श्रेणी पदनाम पशु केसिम्स श्रेणीकरण और विपणन नियम, 1964 के अधीन बनाए गए हैं,

या

(ग) निर्यातकर्ता द्वारा घोषित और त्रेता तथा विवेक के मध्य हुए निर्यात संविदा के अनुसार हों।

(4) पशु केसिम्स के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिषिद्ध करना जिसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त अधिकारणों द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र जारी न किया गया हो।

इस आदेश की कोई भी बात भावी त्रेताओं को पशु केसिम्स के ऐसे वास्तविक नमूनों के भूमि या समुद्र या वायु मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी जिनका मुख्य समय-समय पर निर्यात यथा अधिकारित अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक नहीं होगा जहां ऐसा प्रावधान नहीं है वहां निःशुल्क नमूनों की सीमा 1000/-रुपए से अधिक नहीं होगी।

इस आदेश में पर्यटकों से अतिरिक्त स्वस्थ पशुओं के बच से है जो कि आरोग्य व प्रयोग में सहायता प्रदान करते हैं।

[फाइल नं० 6/1/96-ईकाई एच डी]

प्रभ दास, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 3rd November, 1997

S.O. 2947.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Animal Casings to quality control and inspection prior to export, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export Quality Control and Inspection Rules, 1964, in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st February, 1997 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce Number S.O. 132(E), dated the 21st February, 1997;

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period forty five days of the publication of the said order in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 21st February, 1997.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

And whereas it is necessary to maintain the highest quality standard as per the health requirement of the importing countries that would encompass the standards like unified Directive Number 92/118 EEC, dated the 17th December, 1992 and 94/187/EC dated the 18th March, 1994 of the European Community.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce Number S.O. 2283 dated the 24th August, 1994 relating to Animal Casings, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Government of India after consulting the Export Inspection Council being of the opinion that it is necessary and expedient to do so for the development of the export trade of India, hereby:

- (1) notifies that Animal Casings shall be subject to quality control and inspection prior to export;
- (2) specifies that the type of quality control and inspection shall be in accordance with the export of Animal Casings (Quality Control and Inspection) Rules 1997 as the type of Quality Control and Inspection which shall be applied to such Animal Casings prior to export, in the notification;
- (3) recognises the specifications
 - (a) National and International Standards and Standards of other bodies recognised by Export Inspection Council;

OR

- (1) Grade designation formulated under the Animal Casings Grading and Marking Rules, 1964;

OR

- (2) The specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between buyer and the exporter.

- (4) Prohibits the export, in the course of international trade of Animal Casings unless it conforms to the standards specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by any of the Agencies established or recognised under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

Nothing in this order shall apply to the export by land or sea or air of bonafide samples of animal casings to prospective buyers, the values of which shall not exceed permissible limits as laid down in Exim-Policy from time to time. Where no such provision exist the value limit of sample(s) shall not exceed Rs. 1,000.

In this order animal casings means proposed intestines of a healthy animal slaughtered in an authorised slaughter house.

[File No. 6/1/96-ईकाई एच डी]

PRABH DAS, Director